State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र. / शिक्षक–शिक्षा / डी.एड. / 30–2 / 2016–17 / 3182 रायपुर दिनांक : 8.7.16

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ....(छ.ग.)
2. .... शिक्षा महाविद्यालय,
....

विषय :– द्विवर्षीय डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शाला अनुभव कार्यक्रम (स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम) के संबंध में निर्देश।

–––00–––

डी.एड. पाठ्यक्रम के अंतर्गत शाला अनुभव कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए संबंधित सभी संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में शासकीय प्राथमिक शाला उपलब्ध हो, इस हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है–

1. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – समन्वयक
2. जिला के सम्बन्धित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी – सदस्य
3. संबंधित संकुल स्त्रोत समन्वयक – सदस्य
4. प्राचार्य निजी डी.एड. महाविद्यालय – सदस्य

इस समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार होंगे –

1. जिला में डी.एड. संचालित करने वाली संस्थाओं को परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार संस्थान के निकट के संकुलों की शालाओं का आबंटन। यह आबंटन प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु पृथक–पृथक होगा।
2. इस कार्यक्रम की मानिटरिंग।
3. आबंटित शालाओं के प्रधानपाठकों एवं शिक्षकों का उन्मुखीकरण।

शाला आबंटन कार्य के समय निम्न बातों पर ध्यान रखा जावे –

1. शाला अनुभव कार्यक्रम का कार्य छात्राध्यापकों के द्वारा दो–दो के समूह में किया जावेगा।
2. 50 की दर्ज संख्या वाली शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम दो समूह (चार छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।
3. 50 से 100 तक की दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम तीन समूह (छः छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।
4. 100 से अधिक दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम चार समूह (आठ छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।

5. शाला आबंटन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जावेगा।

6. प्रत्येक संस्था को आबंटित शालाओं की सूची प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित महाविद्यालय, उनके लिए आबंटित शालाओं के प्राचार्यों एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण का कार्य अनिवार्यतः करें।

इस प्रकार तैयार की गयी सूची की एक प्रति संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर को उपलब्ध करावें। इस हेतु विस्तृत निर्देश एस.सी.ई.आर.टी.से द्वारा समय–समय पर जारी किया जावेगा।

(संजय कुमार ओझा)

संचालक

पृ. क्र. / शिक्षक–शिक्षा / डी.एड. / 30–2 / 2016–17 / 3189 रायपुर दिनांक : 8.07.16

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मंत्रालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, कृपया समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें।
4. संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, रा.गा.शि.मि., सर्व शिक्षा अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सचिव, छ:ग: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संजय कुमार ओझा)

संचालक